

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या :310/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/437)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरदेव कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 17.09.2025

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 19.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/34 में वादी के पुत्र का नाम स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह अंकित है। वादी के पुत्र की मृत्यु होने पर वादी एकमात्र वारिस है। जबकि तमाम दस्तावेजात में वादिया के पुत्र का वास्तविक नाम गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह दर्ज है। वादी के पुत्र के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/34 में अंकित नाम स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह के स्थान पर गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 4006 दिनांक 18.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई तो उपस्थित जनों ने बताया कि गुरशरण सिंह व स्वर्ण सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह का दुसरा नाम गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह है। साक्ष्यवादी में गवाह जगदीप सिंह का शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/34 की प्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/34 में क्रम संख्या 16 पर अंकित नाम स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह के स्थान पर गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादिया के पुत्र के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात मुताबिक आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई तो



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपरिस्थित जनों ने बताया कि गुरशरण सिंह व स्वर्ण सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह का दुसरा नाम गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ. नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/34 में क्रम संख्या 16 पर अंकित नाम स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह के स्थान पर स्वर्ण सिंह उर्फ गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर ईजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं पटवार अधिकारी
श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पटवार अधिकारी
श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गुरदेव कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।		स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 310/2025

निर्णय दिनांक :- 19.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/34 में क्रम संख्या 16 पर अंकित नाम स्वर्ण सिंह पुत्र अमरीक सिंह के स्थान पर स्वर्ण सिंह उर्फ गुरशरण सिंह पुत्र अमरीक सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 19.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक: रीडर/2025/924

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री को नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी

